न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/139

1. मुश्ताक आयु 44 वर्ष आत्मज श्री भूरे खॉ जाति मुसलमान निवासी अलोद ।
2. गनी मोहम्मद आयु 64 वर्ष आत्मज श्री भूरे खॉ जाति मुसलमान निवासी अलोद ।
3. वहीद आयु 39 वर्ष आत्मज श्री भूरे खॉ जाति मुसलमान निवासी अलोद ।
4. अहसान आयु 36 वर्ष आत्मज श्री गनी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी अलोद ।
5. श्रीमती गुड्डी बाई आयु 42 वर्ष पत्नी श्री मुश्ताक जाति मुसलमान निवासी अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. भूरेखॉ आत्मज श्री मन्ने खॉ जाति मुसलमान निवासी अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. अनवर अली आयु 56 वर्ष आत्मज श्री भूरे खॉ जाति मुसलमान निवासी अलोद ।
   1/2. रफीक मोहम्मद आयु 53 वर्ष आत्मज श्री भूरे खॉ जाति मुसलमान निवासी अलोद ।
   1/3. श्रीमती भूरी बाई आयु 81 वर्ष पत्नी श्री भूरे खॉ जाति मुसलमान निवासी अलोद ।
   1/4. श्रीमती रमझी बाई पुत्री श्री भूरेखॉ पत्नी श्री घांसी खॉ जाति मुसलमान निवासी बालापुरा ।
   1/5. श्रीमती शकूरन बानो पुत्री श्री भूरे खॉ पत्नी श्री रफीक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश चन्द नामधराणी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जितेन्द्र कोठारी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट मृतक भूरेखॉ ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कब्जा भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद ग्राम कालाभाटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 1883/3685 रकबा 13 बिस्वा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि वादी

के खातेदारी में है जिस पर वादी ने बोरिंग लगा रखा है । वादी की भूमि के लगवा ही खसरा नम्बर 1884 रकबा 05 बीघा स्थित है जिस पर प्रतिवादी कम 1 का कब्जा चला आ रहा है । प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि में से दक्षिण की तरफ की 04 बिस्वा भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया है । उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण की हैसियत एक अतिक्रमी है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादी की भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाए ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर 1883/3685 रकबा 13 बिस्वा में से दक्षिण ओर की 04 बिस्वा पर से बेदखल किया जाकर उक्त भूमि पर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के दक्षिणी दिशा में लगे बोरिंग पर से वादी को पानी लेने में रूकावट नहीं डाले । वादी का कनेक्शन नहीं काटे, मोटर से पानी निकालने में हस्तक्षेप नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण साक्ष्य वादी में लम्बित था । बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किये एवं विधि क द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना साक्ष्य रिकॉर्ड किये एवं बिना बहस सुने उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । अपीलान्टगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी किन्तु इसी मध्य अपीलान्ट को दिनांक 24.06.2015 को लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया वहॉ प्रतिवादी के उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाए किन्तु राजीनामा नहीं होने के कारण प्रतिवादी अपीलान्ट को आगामी तारीख पेशी हिण्डोली वकील साहब से लेने हेतु सूचित कर रवाना कर दिया एवं उसी दिन लोक अदालत में वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.02.2018 को पुलिस थाना दबलाना द्वारा गिरफ्तार करने आने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी अपीलान्ट ने एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में कब्जा भूमि एवं

स्थायी निषेधाज्ञा के बाबत् प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश किया था । प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश किया । तनकीयात कायम की गई और पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में राजीनामा नहीं हो पाया और प्रतिवादी अपीलान्ट को आगामी तारीख पेशी वकील साहब से लेने हेतु सूचित किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन दावा वादी स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण के खिलाफ बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कर दी । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि लोक अदालत में दोनो पक्ष उपस्थित हुए हैं और पत्रावली में हस्ताक्षर भी हैं । वादग्रस्त आराजी के रेस्पोडेन्ट खातेदार कृषक हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से रिकॉर्ड के आधार पर दावा वादी डिक्री किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और इसमें आदेश 22 नियम 03 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश हुआ । कायममुकामान की ओर से वकालतनामा पेश किया और पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही हेतु तारीख पेशी दी गई । इसके उपरान्त इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण में से वादी संख्या 1/1 अनवर और प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी क्रम 1 मुस्ताक उपस्थित हुए हैं । शेष पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे

के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 19.08.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा